



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032023-244818
CG-DL-E-31032023-244818

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1497]

No. 1497]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

का.आ. 1552(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा फायदाग्राहियों को उनका हक सीधे सुविधाजनक और त्रुटि रहित रीति में प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और किसी व्यक्ति की पहचान को सिद्ध करने के लिए अनेक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को आधार न्यूनतम कर देता है ;

और, आर्थिक कार्य विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय बचत स्कीमों का प्रशासन कर रहा है [छोटे बचतकर्ताओं को सुरक्षित और सुविधाजनक निवेश के लिए उपायों के माध्यम से व्यक्तियों के बीच बचतों को प्रोत्साहित करती हैं] (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है), जो डाक विभाग, पब्लिक सेक्टर बैंकों तथा प्राधिकृत प्राइवेट बैंकों (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं ;

और स्कीमों के अधीन आकर्षक व्याज दरें और सुरक्षित निवेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदे कहा गया है) वर्तमान स्कीम मार्गनिर्देशों के अनुसार खाताधारक या नामनिर्देशिनी या विधिक उत्तराधिकारियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है), को दी जाती हैं ;

और, स्कीमों के अधीन प्रदान किए गए फायदों में भारत की संचित निधि से पूर्वनिश्चित आवर्ती व्यय या कर राजस्व अंतर्बलित हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक किसी बालक को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना या आधार प्रमाणीकरण करवाना अपेक्षित होगा ।
- (2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक किसी बालक को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अब तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, स्कीम के लिए रजिस्टर करने के पूर्व उसके माता-पिता या पालकों की सहमति के अधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो तथा ऐसे बालक को आधार के लिए नामांकित होने हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र जाना होगा (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) ।
- (3) आधार (नामांकन और अध्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय या विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से फायदाग्राहियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है, जो अब तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित न होने की दशा में, मंत्रालय या विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से विद्यमान यूआईडीएआई रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परन्तु व्यष्टिक को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक, निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यष्टिकों को स्कीम के अधीन फायदे दिए जाएंगे, अर्थात् :-

- (क) (i) यदि फायदाग्राही (बायोमैट्रिक संग्रहण के साथ) पांच वर्ष की आयु के पश्चात् नामांकित हुआ था, उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची या बायोमैट्रिक अध्यतन पहचान पर्ची, या ;
- (ii) फायदाग्राही द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए आवेदन की एक प्रति ; और
- (ख) फायदाग्राही के निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात् :-
 - (i) जन्म प्रमाणपत्र ; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख ; या
 - (ii) माता-पिता के नामों को अंतर्विष्ट करने वाला विद्यालय के प्राचार्य द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित विद्यालय पहचान कार्ड ; और
- (ग) वर्तमान स्कीम मार्गनिर्देशों के अनुसार माता-पिता या विधिक पालक के साथ फायदाग्राही के संबंध के सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात् :-
 - (i) जन्म प्रमाणपत्र ; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख ; या
 - (ii) राशन कार्ड ; या
 - (iii) भूतपूर्व सैनिक योगदायी स्वास्थ्य स्कीम कार्ड ; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्ड ; या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड ; या
 - (iv) पेन्शन कार्ड ; या
 - (v) आर्मी कैंटीन कार्ड ; या

(vi) कोई सरकारी कुटुंब हक कार्ड ; या

(vii) मंत्रालय या विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेज उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय या विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच किए जाएंगे।

2. स्कीम के अधीन सुविधाजनक रूप से फायदाग्राहियों को फायदे प्रदान करने के लिए, मंत्रालय या विभाग इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से ये सुनिश्चित करने के लिए, कि मीडिया के माध्यम से फायदाग्राहियों को उन्हें उक्त अपेक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए पर्याप्त प्रचार किया जाएगा, सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा।
3. उन मामलों में जहां आधार प्रमाणीकरण फायदाग्राहियों के खराब बायोमैट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से असफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात् :-
 - (क) खराब फिंगरप्रिंट क्वालिटी की दशा में, प्रमाणीकरण के लिए आइरिस स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा अंगीकृत की जाएगी और मंत्रालय या विभाग इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से त्रुटि रहित रीति में फायदों के परिदान के लिए फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के साथ आइरिस स्कैनर या चेहरा प्रमाणीकरण के लिए व्यवस्था करेगा ;
 - (ख) फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण सफल न होने की दशा में, जहां साध्य और स्वीकार्य हो यथास्थिति, आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम वेस्ट वन टाइम पासवर्ड विद लिमिटेड टाइम वैलिडिटी द्वारा प्रमाणीकरण प्रदान किया जाएगा ;
 - (ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमैट्रिक आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम वेस्ट वन टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, स्कीम के अधीन फायदे भौतिक आधार पत्र के आधार पर स्कीम के अधीन फायदे दिए जा सकेंगे जिनकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित क्लिक रिसपॉन्स कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है तथा मंत्रालय या विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर क्लिक रिसपॉन्स कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी बालक को प्रमाणीकरण करवाकर या आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करने में असफलता की दशा में स्कीम के अधीन फायदे से वंचित नहीं किया जाएगा या उस बालक की दशा में जिसे नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करके कोई आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, उसे फायदा पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परन्तुक के खंड (ख) और खंड (ग) में यथाउल्लिखित अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान का सत्यापन करके दिया जाएगा, और जहां फायदा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर दिया जाता है, उसे अभिलिखित करने के लिए एक पृथक् रजिस्टर रखा जाएगा, जिसे मंत्रालय या विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से आवधिक रूप से पुनर्विलोकित या संपरीक्षित किया जाएगा।
5. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/3/2015-एनएस]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

S.O. 1552(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (hereinafter referred to as the Department) in the Government of India, is administering National Savings Schemes [encourage savings amongst the people through avenues for safe and convenient investment to small savers] (hereinafter referred to as the Scheme), which is being implemented through **Department of Posts, Public Sector Banks and authorised private banks** (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, under the Schemes, attractive interest rates and safe investment (hereinafter referred to as the benefits) are given to the **account holder or nominee or legal heirs** (hereinafter referred to as the beneficiaries) as per extant Scheme guidelines;

And whereas, the benefits offered under the Schemes involves recurring expenditure or tax revenues foregone from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) a child desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such child shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
- (3) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry or Department through its Implementing Agency is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry or Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to production of the following documents, namely:-

- (a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or;
- (ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and
- (b) any one of the following identity documents of the beneficiary namely:-
 - (i) Birth Certificate; or record of birth issued by the appropriate authority; or
 - (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and
- (c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:-
 - (i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
 - (ii) Ration Card; or
 - (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme Card; or Employees' State Insurance Corporation Card; or Central Government Health Scheme Card; or
 - (iv) Pension Card; or

- (v) Army Canteen Card; or
- (vi) any Government Family Entitlement Card; or
- (vii) any other document as specified by the Ministry or Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry or Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry or Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In cases where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

- (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication and the Ministry or Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
- (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
- (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry or Department through its Implementing Agencies.

4. In addition to the above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, by producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry or Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F. No. 1/3/2015-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

का.आ. 1553(अ).— सेवा या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), राष्ट्रीय बचत स्कीमों का प्रशासन कर रहा है [लघु बचतकर्ताओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक निवेश के माध्यम से लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करता है] (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है), जिसे डाक विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और प्राधिकृत निजी बैंकों (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण के कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

और, स्कीमों के अधीन, विद्यमान स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार आकर्षक व्याज दरें और सुरक्षित निवेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदा कहा गया है) खाताधारक या नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को दिया जाता है;

और, स्कीमों के अधीन दिए जाने वाले फायदों में आवर्ती व्यय या भारत की संचित निधि से छोड़े गए कर राजस्व सम्मिलित हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :-

1. (क) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यष्टि को आधार संख्या रखने या आधार प्रमाणीकरण से गुजरने का प्रमाण प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी;

(ख) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्री करण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा होगी, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसे व्यष्टि को आधार के लिए नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाना होगा;

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और यदि कोई संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में स्थित आधार नामांकन केंद्र नहीं है, विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय में या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परंतु ऐसे व्यष्टि को, आधार संख्यांक नियत किए जाने तक, स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएगी, अर्थात् :-

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात् :-

(i) फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो वाले पहचान का प्रमाण पत्र; या

(x) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु, यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा विशेष रूप से उस प्रयोजन के लिए नामित अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

2. स्कीमन्तर्गत फायदाग्राहियों को सुविधानुसार फायदा उपलब्ध कराने हेतु विभाग अपनी क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा जिससे स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को आधार की अपेक्षा से अवगत कराने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सके।

3. ऐसे मामलों में जहां फायदाग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्: -

(क) खराब उंगलियों के निशान गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, और विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से आईरिस स्कैनर या चेहरा अधिप्रमाणन के साथ-साथ उंगलियों के निशान प्रमाणीकरण के लिए उपबंध करेगा जिससे निर्बाध रूप से फायदा दिया जा सके।

(ख) उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने की स्थिति में, जहां भी संभव हो, यथास्थिति, आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा सीमित समय वैधता के साथ प्रमाणीकरण, प्रस्तावित की जाएगी ;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-बेस्ड वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणीकरण संभव नहीं है, स्कीम के अधीन भौतिक आधार पत्र के आधार पर फायदा दिया जा सकता है, जिसकी अधिप्रामाणिकता त्वरित प्रतिक्रिया आधार पत्र पर मुद्रित कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराई जायेगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के अधीन कोई वास्तविक फायदाग्राही अपने देय लाभों से वंचित नहीं है, विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रत्यक्ष फायदा हस्तांतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. डी-26011/04/2017-डीबीटी, तारीख 19 दिसंबर 2017 (<https://dbtbharat.gov.in/> पर उपलब्ध) में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/3/2015-एनएस]
आशीष वच्छानी, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

S.O. 1553(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (hereinafter referred to as the Department) in Government of India, is administering National Savings Schemes [encourage savings amongst the people through avenues for safe and convenient investment to small savers] (hereinafter referred to as the Scheme), which is being implemented through **Department of Posts, Public Sector Banks and authorised private banks** (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, under the Schemes, attractive interest rates and safe investment (hereinafter referred to as the benefits) are given to the **account holder or nominee or legal heirs** (hereinafter referred to as the beneficiaries) as per extant Scheme guidelines;

And whereas, the benefits offered under the Schemes involves recurring expenditure or tax revenues foregone from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (a) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;
- (b) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;
- (c) as per the regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves;

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :-

- (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
- (b) any one of the following documents, namely :-
 - (i) Bank or Post office Passbook with Photo; or
 - (ii) Permanent Account Number Card; or
 - (iii) Passport; or
 - (iv) Ration Card; or
 - (v) Voter Identity Card; or
 - (vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act card; or
 - (vii) Kisan Photo passbook; or
 - (viii) Driving licence issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
 - (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
 - (x) any other documents as specified by the Department;

Provided, further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.
3. In cases where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
 - (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
 - (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
 - (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One time Password or time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017. (available on <https://dbtbharat.gov.in/>).
5. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F. No. 1/3/2015-NS]
ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.